


भारतीय बाघ

**THE INDIAN OR ROYAL
BENGAL TIGER**

(Panthera tigris tigris)



भगवान बिरसा जैविक उद्यान
चकला (ओरमाँझी), राँची

भारतीय बाघ

THE INDIAN OR ROYAL BENGAL TIGER

(*Panthera tigris tigris* Linnaeus)

बाघ, सिंह तथा तेंदुआ की उत्पत्ति एक ही पुरखा प्रजाति से मानी जाती है, परन्तु बाघ पूर्णतः एक एशियाई जानवर है जिसका मूलवास मध्य एवं उत्तरी एशिया रहा है। इसके उद्भव काल एवं स्थान की प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है, परन्तु इसके समरूप प्रजाति का प्लीस्टोसीन अर्थात् हिमानी (ग्लेशियल) काल का करीब दस लाख वर्ष पुराना जीवाश्म (अस्थि-अवशेष) उत्तरी साइबेरिया में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ है जो इसके वर्तमान फैलाव क्षेत्र से अप्रत्याशित रूप से सुदूर उत्तर में स्थित है।

तेंदुआ के बाद दूसरे सर्वाधिक बड़े क्षेत्र में पाए जानेवाले बाघ प्रजाति का वर्तमान विस्तार महाद्वीपीय एशिया और दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में है। इसकी आठ उप-प्रजातियाँ हैं जिनका विकास इनके विभिन्न जलवायु वाले प्राकृतवासों में आहार के लिए प्रवसन तथा युगान्तर तक इनकी आबादी के पृथक् रहने और जलवायु अनुकूलन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक बाहरी शारीरिक विशिष्टियों की उत्पत्ति के कारण हुई है। बाघ की कुल आठ उप-प्रजातियों, भारतीय बाघ (*Panthera tigris tigris*), इन्डोचाइनी बाघ (*P. tigris corbetti*), चीनी बाघ (*P. tigris amoyensis*), मंचुरियन बाघ (*P. tigris altaica*), कैस्पियन बाघ (*P. tigris virgata*), सुमात्रा बाघ (*P. tigris sumatrae*), जावा बाघ (*P. tigris sondaica*) तथा बाली बाघ (*P. tigris balica*) में से कैस्पियन, जावा तथा बाली बाघ विलुप्त हो चुके हैं और आज अन्य उप-प्रजातियाँ भी विलुप्त होने के कगार पर हैं।

ऐसा माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बाघ का पदार्पण हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी छोर से हुआ और इनका फैलाव पहले भारत के पश्चिमी भाग में तथा इसके बाद दक्षिणी छोर तक पहुँचा, परन्तु तबतक श्री लंका और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच भूमि-मार्ग समुद्रगर्भित हो चुका था और संभवतः यही कारण है कि बाघ श्री लंका में नहीं पाए जाते हैं। इस धारणा की पुष्टि इन तथ्यों से भी होती है कि भारतीय बाघ की उप-प्रजाति हिन्दुकुश पर्वत श्रृंखला तथा ईरान और बलुचिस्तान के रेगिस्तानों के अपारणीय अवरोधों के दूसरी तरफ पाए जाने वाले उप-प्रजाति से भिन्न है, तथा तिब्बत और हिमालय के उत्तरी भाग में किसी भी काल में बाघ की उपस्थिति का कोई सबूत नहीं मिलता है।

बाघों की सर्वाधिक संख्या (करीब 3000) भारत में है। वर्ष 2002 की गणना के अनुसार झारखण्ड में मात्र 42 बाघ ही हैं। रॉयल बंगाल टाइगर नाम से जाना जानेवाला भारतीय बाघ का फैलाव पहले देश के अधिकतर भू-भागों में था, परन्तु वर्तमान में ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़ अन्य राज्यों के केवल कुछ ही वनों में पाए जाते हैं। इनकी घटती संख्या का मूल कारण

पहले बाघों का शौकिया शिकार और इसके बाद मानव आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि और इसके कारण बाघों के प्राकृतवास में विभिन्न संसाधनों के विदोहन हेतु मानवीय घुसपैठ, मवेशियों को बचाने के लिए इन्हें जहर दे कर मारना तथा बाघ के विभिन्न शारीरिक अवयवों के लिए अवैध शिकार किया जाना है जबकि बाघ शाकभक्षी जानवरों की संख्या को नियंत्रित कर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। किसी भी क्षेत्र में बाघों की संख्या और उनकी तन्दुरुस्ती, उस क्षेत्र के



पारिस्थितिकीय (इकोलॉजिकल) स्वास्थ्य का द्योतक है तथा पारिस्थितिकीय संतुलन पर ही मनुष्य का कल्याण निर्भर करता है।



भारतीय नर बाघ 2.75-2.9 मी० लम्बा होता है और इसका वजन 180-230 कि०ग्रा० होता है जबकि मादा की लम्बाई तथा वजन कुछ कम (करीब 2.6 मी० तथा 165 कि०ग्रा० क्रमशः) होता है। इसके शरीर के बाल पीली तथा काली धारियाँ बनाती हैं। इसे

आर्द्र-सदाबहार जंगल, शुष्क खुले जंगल और घास वाले दलदली क्षेत्र पसंद हैं। इनकी तीन शाश्वत आवश्यकताएँ होती हैं - आहार के लिए समुचित संख्या में जानवर, समुचित जल एवं शांत और सुरक्षित विश्रामस्थली। ये गर्मी और ठंड से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं और यदि इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे तो वर्षों तक अपने क्षेत्राधिकार के जंगल से बाहर नहीं निकलते हैं। आमतौर पर एक नर बाघ का क्षेत्राधिकार 30-55 वर्ग कि०मी० होता है जिसमें 3-6 मादा के क्षेत्राधिकार के अंश सम्मिलित रहते हैं। एक मादा का क्षेत्राधिकार 23-45 वर्ग कि०मी० होता है। बाघ अपने क्षेत्र की रखवाली मुस्तैदी से करते हैं और इसमें समलिंगी बाघ का प्रवेश रोकते हैं। ये गुफा में, गिरे-पड़े वृक्षों के नीचे अथवा घने झाड़ियों में अपना कई माँद बनाते हैं और आवश्यकता के समय जो भी माँद नजदीक हो उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जन्मजात तैराक होते हैं।

बाघ अकेला विचरण करनेवाला माँसभक्षी वन्यजन्तु है जिसके लिए अपने आहार का जुगाड़ करना एक बड़ा काम है। शाम से सुबह के बीच अथवा बदली छाए दिन आहार के लिए शिकार का समय होता है जब वह चुपके-चुपके झुरमुटों के बीच से अपने शिकार के 10-25 मी० समीप पहुँचकर अचानक आक्रमण करता है अथवा आवश्यकतानुसार उसका थोड़ा पीछा कर अपने मुँह से आमतौर पर गला पकड़कर मारता है और शिकार के उसी भाग से खाना आरंभ करता है। अधिकतर प्रयासों में इसे विफलता ही मिलती है क्योंकि इसके शिकार भी चौकन्ना रहते हैं। यह देखा गया है कि खाने के दौरान बाघ कई बार पानी पीता है और यही कारण है कि वह अपना शिकार जल-स्रोत के समीप खींच कर ले जाता है और वहीं छिप कर खाता है। यदि शिकार का खाद्य अंश बच जाता है तो अन्य परभक्षियों से बचाने के लिए वह इसे छिपा देता है और फिर अगले दिन खाता है। सात-आठ दिन में एक बड़ा शिकार एक बाघ के लिए काफी है। भूख नहीं हो तो यह बेमतलब शिकार नहीं करता है। वैसे भूखा बाघ किसी प्रकार का माँस खा सकता है।

बाघ 3-4 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य होते हैं, परन्तु इनका कोई निश्चित प्रजनन-काल नहीं होता है। समागम वर्ष में कभी भी हो सकता है और समागम पूर्व एक से तीन सप्ताह तक लगातार नर-मादा का सहवास होता है। मादा 95-112 दिनों के गर्भकाल के बाद 2-4 की संख्या में 31.5-40 से०मी० लम्बे (13-16 से०मी० लंबी पूँछ सहित) तथा 800-1500 ग्राम के शावकों को जन्म देती है। शावकों की आँखें



जन्म से सातवें और चौदहवें दिन के बीच खुलती हैं। दूध-दाँत करीब दो सप्ताह बाद निकलते हैं। दो माह तक शावक माता बाघ के साथ माँद में ही रहते हैं जिसके बाद वे बाहर निकलते हैं। करीब 5-6 माह तक शावक माता का ही दूध पीते हैं। करीब 11 महीने की उम्र से माता शावकों को शिकार पर अपने साथ ले जाती है और अगले 6-8 महीने में वे स्वतंत्र रूप से शिकार करने योग्य हो जाते हैं। आमतौर पर शावक माता के साथ 2-3 वर्ष तक रहते हैं और नर शावक अपनी माता से पहले अलग होता है। प्रकृति में बाघ का जीवन-काल करीब 20 वर्ष होता है जबकि

इन्हें कैप्टिविटी में औसतन 16-17 वर्ष जीवित रहते पाया गया है।

भारतीय वनजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत भारतीय बाघ पूर्णरूप से संरक्षित प्रजाति है एवं इससे संबंधित अपराध के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान है। इसे इसके चुनिन्दा प्राकृतवास में ही संरक्षित एवं संबर्द्धित करने हेतु केन्द्र-प्रायोजित अनुसंधान एवं संरक्षण परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, सन् 1973 से चल रहा है जिसके अन्तर्गत देश में अब तक 27 टाइगर रिजर्व (कुल क्षेत्रफल 37,761 वर्ग कि०मी०) की स्थापना की जा चुकी है। झारखण्ड के लातेहार जिला स्थित पलामू टाइगर रिजर्व (क्षेत्रफल 1026 वर्ग कि०मी०) राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इस प्रोजेक्ट के अनुकूल परिणाम निकले हैं, परन्तु कुछ खामियाँ भी उजागर हुई हैं, जैसे बाघ के प्राकृतवासों की सानिध्यता और नए क्षेत्रों में जाने के लिए कॉरिडोर पर विशेष ध्यान नहीं रखना, समीपस्थ मानव-आबादी से द्वन्द्व, अवैध शिकार और व्यापार रोकने तथा संरक्षण हेतु जन-जागरूकता बढ़ाने में प्रत्याशित सफलता नहीं मिलना आदि। अब इन खामियों को दूर करने का प्रयास जारी है।

सामान्य सूचना

स्थापना वर्ष	1994	
कुल क्षेत्रफल	104 हेक्टेयर (जन्तु अनुभाग : 83 हे०; वनस्पति अनुभाग : 21 हे०)	
भ्रमण काल	अप्रैल, 1 से अक्टूबर, 31	पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक (निकास 5.30 अप. तक)
	नवम्बर, 1 से मार्च, 31	पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक (निकास 5.00 अप. तक)
प्रवेश शुल्क	वयस्क	रुपये 2/- प्रति व्यक्ति
	बच्चा (5-12 वर्ष)	रुपये 1/- प्रति बच्चा
	बच्चा (5 वर्ष से कम)	निःशुल्क
	नौका विहार (अधिकतम 4 व्यक्ति; 15 मिनट तक)	रुपये 20/-
फोटोग्राफी/फिल्मिंग	मूवी कैमरा	रुपये 1000/- प्रतिदिन
	विडियो कैमरा	रुपये 200/- प्रतिदिन
	स्टील कैमरा	रुपये 5/-
वाहन पार्किंग	साईकिल	रुपये 1/-
	स्कूटर/मोटर साईकिल	रुपये 2/-
	कार/जीप/अन्य हल्के वाहन	रुपये 3/-
	बस/ट्रक/अन्य भारी वाहन	रुपये 5/-

**उद्यान के भीतर निजी वाहन का प्रवेश वर्जित है।
उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहता है।**

भगवान बिरसा जैविक उद्यान

चकला (ओरमाँझी), राँची

दूरभाष (उद्यान कार्यालय) : 0651-2576531

पत्राचार हेतु पता :

पोस्ट बाक्स संख्या-41, डोरण्डा जी.पी.ओ., राँची 834 002